

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 13, बुधवार, श०के 1947- मार्च 05, 2026 Phalguna 13, Wednesday, Saka 1947- March 05, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2026

संख्या प.12(05)नविवि/मण्डापुरा (बालोतरा)/2025-15862 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि राजस्व ग्राम मण्डापुरा, तहसील पचपद्रा, जिला बालोतरा में नगर विकास न्यास, बालोतरा के स्वामित्व के खसरा संख्या 217 रकबा 0.7082 हैक्ट. व 4360/1123 रकबा 2.7939 हैक्ट. अर्थात् कुल रकबा 3.5021 हैक्ट. में प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानुसार हैं:-

1. उत्तर खसरा संख्या 1124/207
2. पूर्व खसरा संख्या 1120/207 व 216
3. दक्षिण खसरा संख्या 218, 2185/218 व 1131/215
4. पश्चिम खसरा संख्या 4359/1123, 221 व 219

उपरोक्त योजना क्षेत्र में सड़क / हाईवे का मार्गाधिकार 60 मीटर एवं मार्गाधिकार के बाद 30 मीटर चौड़ाई में प्लांटेशन बेल्ट रखे जाने की सुनिश्चितता की जावे।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय

शासन उप सचिव-प्रथम।